



2026: AHC: 33239-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1279/2026

अरविंद यादव याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: सिद्धार्थ यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता), श्यामू शुक्ला

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामू शुक्ला की ओर से श्री अभिषेक सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याची द्वारा थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-827 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 109, 352, 324(4) बी.एन.एस. के फलस्वरूप उत्पन्न प्राथमिकी दिनांक 24.12.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह दलील दी गई कि प्रथम सूचना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार भी याची के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, इसलिए विवादित प्राथमिकी रद्द किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त पार्थना का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याची ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित को ईंट से बेरहमी से पीटा है जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसका चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल) कराया गया है। इसके अलावा, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) SCC Online SC 315 के मामलों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' में प्रतिपादित विधि पर धरोसा जताया।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को दलीलों पर विचार करने, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि और इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए कि याची और दो अन्य लोगों द्वारा ईंट से किए गए हमले के कारण पीड़ित अभय नंदन सिंह को गंभीर चोटें आई हैं और उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, चारों ओर विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखते हुए हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।
7. अतः, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
8. हालांकि, यदि याची उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"